

आं.प्र. राज्य

बनाम

वी. वेंकटेश्वरा राव (मृत) जरिए कायम मुकाम

16 जनवरी, 2004

(शिवराज वी. पाटिल और डी. एम. धर्माधिकारी, जे. जे.)

भूमि कानून:

शहरी भूमि (शिलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976:

धारा 20(1)(क)- रिक्त भूमि- शिलिंग सीमा से अधिक- छूट की शक्ति- छूट की शक्ति- भूमि धारक ने रिक्त भूमि कंपनी को 33 वर्ष पर पट्टे पर दी जब रिक्त भूमि पर कोई हस्तानांतरण रोकथाम नहीं थी। राज्य सरकार ने ज्यादा रिक्त भूमि पट्टे पर (अधिक) कुछ शर्तों के साथ कि 33 वर्षों के बाद यह भूमि राज्य सरकार की होगी। उच्च न्यायालय ने उन शर्तों पर रोक लगाई-अधिनियम और छूट के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं। राज्य में भूमि के निहित होने के अभाव में, पट्टे की समाप्ति के बाद वह भूमि मालिक को वापस कर दी जाएगी - राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त अलग करने योग्य है अन्य स्थितियों से, इसे अलग रखने के बाद भी। सरकारी आदेश वैध रूप से बरकरार रखा

जा सकता है- इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं।

प्रतिवादी शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त खाली भूमि का धारक था। प्रतिवादी ने इस आधार पर छूट का दावा करते हुए अधिनियम की धारा 20(1)(ए) के तहत एक आवेदन दायर किया कि खाली जमीन को एक कंपनी को 33 साल के लिए पट्टे पर दे दी गई। यह पट्टा उस अवधि के दौरान किया गया था जब खाली भूमि के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं थी। राज्य सरकार ने अतिरिक्त खाली भूमि पर निश्चित रूप से छूट प्रदान की जिन शर्तों में यह भी शामिल है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

व्यथित होकर प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश को बहाल कर दिया लेकिन यह माना कि यह शर्त कि 33 वर्षों के बाद भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसलिए अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1. चूंकि अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी कि अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाए, इसलिए

इसे पूरी तरह से राज्य में निहित नहीं माना जा सकता है। छूट आदेश जारी होने की तारीख तक सरकार शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10(3) के तहत सभी बाधाओं से मुक्त है। पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद, सामान्य प्रक्रिया में, राज्य में भूमि के निहित होने की अनुपस्थिति में, अध्याय 3 के प्रावधानों के अधीन, जहां तक वे लागू होते हैं, भूमि प्रतिवादी को वापस कर दी जाएगी। यदि भूमि प्रतिवादी को वापस करने के कारण और उसकी हिस्सेदारी अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है, तो धारा 15 में निहित प्रावधान लागू हो जाते हैं। ऐसे मामले में, धारा 15(2) के अनुसार, धारा 6 से 14 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, उक्त धारा के तहत दायर बयान पर लागू होंगे। संबंधित व्यक्ति धारा 8 से 10 के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा का लाभ उठा सकता है, जिसमें अधिकतम सीमा के भीतर भूमि को बनाए रखने के मामले में विकल्प या पसंद का प्रयोग भी शामिल है। यदि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि को राज्य में निहित करने की स्थिति कायम रहती है, तो इसका प्रभाव धारा 6 से 14 के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा को छीनने का होगा, जहां तक वे लागू होते हैं।

2.1. राज्य सरकार को धारा 20 के तहत छूट देते समय शर्तें लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी शर्तें अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत या पराजित नहीं हो सकतीं। अधिनियम और छूट आदेश के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा, धारा

20(2) के तहत यह कहते हुए सुरक्षा प्रदान की गई है कि यदि छूट देते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार दी गई छूट को वापस लेने की हकदार है। इसके अलावा, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद यदि खाली भूमि प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी को वापस मिल जाती है और उसकी खाली भूमि सीमा सीमा से अधिक हो जाती है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अतिरिक्त खाली भूमि के संबंध में अधिनियम के प्रावधान। 1551-एफ-एच; 552-ए।

2.2. तर्क यह है कि यदि निहितार्थ के संबंध में शर्त स्टाफ सरकार को अतिरिक्त खाली जमीन अमान्य है, छूट आदेश अस्तित्व में नहीं रह सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। छूट देने वाले सरकारी आदेश ने धारा 20 के संदर्भ में छूट और सार्वजनिक हित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य शर्तें लगाई हैं। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या भूमि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिनके लिए छूट दी गई थी, राज्य सरकार धारा 20(2) के तहत छूट के आदेश को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। लीज अवधि की समाप्ति के बाद भूमि को राज्य में निहित करने की शर्त अलग करने योग्य है और उक्त शर्त को रद्द करने के बाद भी, सरकारी आदेश वैध रूप से बरकरार रखा जा सकता है। 1552-ए-सी।

आर. जीवरत्नम बनाम मद्रास राज्य, एआईआर (1966) एससी 951 और आर.एम.डी चम्बबागवाला बनाम भारत संघ, एआईआर (1957) एससी 628, पर भरोसा किया गया।

3. उच्च न्यायालय का विवादित आदेश में दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5956/1997

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 9.4.1997, डब्ल्यू.ए. संख्या 851/1994 में से

सी.ए. संख्या 5957-59/1997।

उपस्थित पक्षों के लिए सुधीर चन्द्र पराग, पी.त्रिपाठी, वी.ए. मोहता, सुधीर चंद्रा; सुश्री. टी. अनामिका, जी. प्रभाकर, सुश्री. नीलिमा त्रिपाठी, जयंत मेहता, सुश्री तारू गुसा, एस.ए. सऊद, सुश्री सुमिता रे, पी.एस. नरसिम्हा, पी. श्रीधर, अनंग भट्टाचार्य, जी. शेषागिरी राव।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

शिवराज वी. पाटिल, जे. प्रतिवादी वल्लुरु वेंकटेश्वर राव शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार 5849 वर्ग मीटर (1 एकड़ 44 सेंट) की सीमा तक अतिरिक्त खाली भूमि के धारक थे। उन्होंने अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत इस आधार पर छूट का दावा करते हुए एक आवेदन किया कि उन्होंने

1.5.1975 को मेसर्स उषोदय प्रकाशन प्रा. लिमिटेड के साथ 33 वर्ष की अवधि के लिए एक अपंजीकृत पट्टा समझौता किया था। यह पट्टा उस अवधि के दौरान किया गया था जब खाली भूमि के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं थी। अधिनियम ने 17.2.1975 से 28.1.1976 की अवधि के दौरान प्रामाणिक बिक्री के अलावा किसी भी लेनदेन पर रोक लगा दी। पट्टेदार ने अधिनियम के तहत छूट की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। राज्य सरकार ने मामले पर विचार करने के बाद एक सरकारी आदेश जीओ एमएस संख्या जारी किया। 7 रेव. (यूसी. तृतीय) विभाग दिनांक 3.1.1984 अधिनियम के तहत कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान करता है जिसमें यह भी शामिल है कि 33 साल के पट्टे की छूट की अवधि के बाद, भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। प्रतिवादी वल्लुरु वेंकटेश्वर राव ने छूट देने वाले उपरोक्त जीओ में लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 1988 की रिट याचिका संख्या 19026 दायर की। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 29.3.1994 द्वारा मेसर्स जी.ओ. संख्या 7 दिनांक 3.1.1984 को रद्द कर दिया और अधिनियम की धारा 8 के तहत मसौदा बयान की तैयारी से पहले छूट पर विचार करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि मसौदा बयान की तैयारी के बाद छूट का सवाल नहीं था। कानून में स्वीकार्य। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित होकर, आंध्र प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष 1994 की रिट अपील संख्या

791 दायर की। प्रतिवादी वल्लुरु वेंकटेश्वर राव ने भी 1994 की रिट अपील संख्या 851 दायर की। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दोनों अपीलों को एक साथ निपटाया और इस न्यायालय के फैसले के बाद दिनांक 9.4.1997 को आक्षेपित निर्णय पारित किया और जीओ एमएस को बहाल कर दिया। क्रमांक 7 दिनांक 3.1-1984 लेकिन शर्त यह है कि 33 साल की लीज अवधि के बाद, भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, जो मैसर्स जीओ संख्या 7 के पैरा 4 (डी) में निहित है। बरकरार नहीं रखा जा सका। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश से व्यथित होकर, आंध्र प्रदेश राज्य ने मैसर्स जीओ संख्या 7 में निहित शर्त संख्या 4 (डी) को रद्द करने की सीमा तक, 1997 की सिविल अपील संख्या 5956 दायर की है। एमएस उषोदय प्रकाशन प्रा. लिमिटेड ने रिट अपील में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पक्षकार बनाने के लिए दायर अर्जी को मंजूर नहीं किया। एमएस उषोदय पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने विवादित आदेश से व्यथित होकर 1997 की सिविल अपील संख्या 5957-5959 दायर की है। मूल प्रतिवादी वल्लुरु वेंकटेश्वर रावकी मृत्यु हो गई है और उसका बेटा कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड में है।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि छूट के आदेश के पैरा 4 का खंड (डी) वैध है और यदि उक्त खंड शून्य है, तो ऐसी शर्त के अधीन दी गई छूट स्वयं शून्य और निष्क्रिय हो जाती है। अधिनियम की धारा

20 के तहत राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन छूट देने में सक्षम थी जो छूट के आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती हैं और आदेश के पैरा 4 के खंड (डी) में निहित ऐसी शर्त वैध रूप से लगाई जा सकती है। छूट ने प्रतिवादी को कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं किया छूट केवल राज्य सरकार के विवेक पर दी गई थी। अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय उक्त शर्त को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

प्रतिवादी वल्लुरु वेंकटेश्वर राव के कानूनी प्रतिनिधि की ओर से आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं। अधिनियम की योजना की ओर इशारा करते हुए और, विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 6 और 8 का उल्लेख करते हुए, यह आग्रह किया गया कि 33 वर्षों की लीज अवधि के बाद, भूमि राज्य सरकार के साथ स्वचालित रूप से निहित नहीं की जा सकती। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी, यदि खाली भूमि अतिरिक्त भूमि बन जाती है, तो यह नई घोषणा दाखिल करने के लिए खुली है और यह विकल्प चुनने के लिए भी उतना ही खुला है कि अधिकतम सीमा के भीतर कौन सी भूमि बरकरार रखी जानी है।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों की उचित सराहना के लिए, अधिनियम के प्रावधानों पर उस हद तक ध्यान देना आवश्यक है, जहां तक वे प्रासंगिक हैं।



”धारा 6. अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले व्यक्तियों को विवरण दाखिल करना होगा - (1) इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किया जा सकता है, एक विवरण दाखिल करेगा अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी खाली भूमियों और किसी अन्य भूमि जिस पर कोई इमारत है, चाहे उसके पास कोई आवासीय इकाई हो या नहीं, ऐसे अन्य विवरणों के स्थान, सीमा, मूल्य को निर्दिष्ट करना (जिसमें उसके अधिकार, शीर्षक या उसमें हित की प्रकृति शामिल है) और उस सीमा सीमा के भीतर खाली भूमि को भी निर्दिष्ट करना जिसे वह बनाए रखना चाहता है।

बशर्ते कि किसी भी राज्य के संबंध में जिस पर यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, इस उप के प्रावधान धारा का प्रभाव इस प्रकार होगा जैसे कि इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति शब्दों के लिए शब्द, अंक और अक्षर प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि है या 17 फरवरी, 1975 के बाद और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले और ऐसे प्रारंभ में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए” प्रतिस्थापित किया गया था।

”धारा 8 अधिकतम सीमा से अधिक में रखे गए खाली रेत के संबंध में मसौदा विवरण तैयार करना

(1) धारा 6 के तहत दायर किए गए बयान के आधार पर और ऐसी जांच के बाद जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी एक तैयार करेगा धारा 6 के तहत बयान दाखिल करने वाले व्यक्ति के संबंध में मसौदा बयान।

(2) उपधारा (1) के तहत तैयार किए गए प्रत्येक बयान में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्

(1) व्यक्ति का नाम और पता: (2) सभी खाली भूमियों और किसी अन्य भूमि का विवरण जिस पर कोई भवन है, चाहे उस व्यक्ति के पास कोई आवासीय इकाई हो या नहीं:

(3) उन खाली भूमियों का विवरण, जिन्हें ऐसा व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर बनाए रखना चाहता है:

(4) खाली भूमि पर व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व या हित का विवरण: और

(5) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) मसौदा विवरण उस तरीके से परोसा जाएगा जो व्यक्ति पर निर्धारित किया जा सकता है एक नोटिस के साथ संबंधित, जिसमें कहा

गया है कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर कोई भी आपत्ति उसकी सेवा के तीस दिनों के भीतर दर्ज की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली अतिरिक्त अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विधिवत विचार करेगा। वह व्यक्ति जिसे उस उप-धारा के तहत मसौदा बयान की एक प्रति दी गई है और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे

”धारा 9 अंतिम विवरण, धारा 8 की उपधारा (4) के तहत प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, के निपटान के बाद सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आपत्तियों पर पारित आदेशों के अनुसार मसौदा विवरण में आवश्यक परिवर्तन करेगा। और संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक धारित खाली भूमि का निर्धारण करेगा और धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से प्रारूप विवरण की एक प्रति, जैसा कि परिवर्तित किया गया है, व्यक्ति को तामील कराएगा। संबंधित है और जहां ऐसी खाली भूमि पट्टे, या बंधक, या किराया खरीद समझौते, या एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत रखी गई है, तो ऐसी खाली भूमि के मालिक पर भी”

”धारा 10 - सीलिंग से अधिक खाली भूमि का अधिग्रहण सीमा-

(1) संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत विवरण की सेवा के बाद जितनी जल्दी हो सके, सक्षम प्राधिकारी एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि का विवरण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि

(1) ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना है

(2) ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के दावे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उनके एजेंटों द्वारा ऐसी भूमि में उनके हितों की प्रकृति का विवरण देते हुए किए जा सकते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित राज्य का राजपत्र और ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में रिक्त भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सक्षम प्राधिकारी को किए गए दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करेगा और ऐसे पारित करेगा जैसा उचित समझे वैसा आदेश दें।

(3) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी, संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि -धारा (1) ऐसी तारीख से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि पूरी तरह से राज्य में निहित मानी जाएगी। सरकार इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त है।

(4) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने और उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट तिथि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान,-

(1) कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त खाली भूमि (उसके किसी भी हिस्से सहित) को बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा और इस प्रावधान के उल्लंघन में किए गए किसी भी ऐसे हस्तांतरण को माना जाएगा शून्य और शून्य हो और

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त खाली भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तन नहीं कराएगा।

(5) जहां कोई खाली भूमि उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित है, सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास यह कब्जा है, नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को इसे सौंपने या कब्जा सौंपने का आदेश दें।

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि पर कब्जा कर सकता है या इसे संबंधित राज्य सरकार या किसी अधिकृत व्यक्ति को दे सकता है। इस संबंध में ऐसी राज्य सरकार द्वारा और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग किया जा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण -इस खंड में, धारा की उपधारा (1) में 11 और खंड में 14 और 23, के संबंध में "राज्य सरकार"-

(ए) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी खाली भूमि का मतलब केंद्र सरकार है (बी) किसी भी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और केंद्र शासित प्रदेश में या धारा के तहत घोषित छावनी की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित कोई भी खाली भूमि। छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के 3 का अर्थ है राज्य सरकार।"

”धारा 11 -अधिग्रहीत खाली भूमि के लिए राशि का भुगतान (1) जहां किसी भी खाली भूमि को धारा 10 की उपधारा (3) के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया गया माना जाता है, ऐसी राज्य सरकार उस व्यक्ति को भुगतान करेगी या जिन व्यक्तियों का उसमें कोई हित है,

(ए) ऐसे मामले में जहां ऐसी खाली भूमि से कोई आय होती है, तुरंत लगातार पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऐसी भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय के आठ और एक तिहाई के बराबर राशि धारा 10 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले: या

(बी) ऐसे मामले में जहां ऐसी खाली भूमि से कोई आय प्राप्त नहीं होती है, राशि की गणना निम्न दर से की जाएगी -

(1) अनुसूची, 1 में निर्दिष्ट श्रेणी ए या श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाले शहरी समूह में स्थित खाली भूमि के मामले में दस रुपये प्रति वर्ग मीटर: और

(2) शहरी समूह में स्थित खाली भूमि के मामले में पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर उस अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणी सी या श्रेणी डी के भीतर।”

“धारा 15 विरासत, वसीयत या डिक्री के निष्पादन में बिक्री द्वारा भविष्य में अधिग्रहण पर सेलिंग सीमा, आदि।

(1) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से विरासत, निपटान या वसीयत द्वारा अधिग्रहण

करता है या किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में या किसी अन्य प्राधिकारी के पुरस्कार या आदेश के निष्पादन में बिक्री द्वारा या किसी खाली भूमि की खरीद या अन्यथा, जिसकी सीमा के साथ-साथ खाली भूमि की सीमा, यदि कोई हो, पहले से ही धारित है उसके द्वारा कुल मिलाकर अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है, तो वह, ऐसे अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने के भीतर, अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्थान, मूल्य और ऐसे अन्य विवरण निर्दिष्ट करते हुए एक बयान दाखिल करेगा जो सभी रिक्त स्थानों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। उसके पास मौजूद जमीनें और अधिकतम सीमा के भीतर खाली जमीनों को भी निर्दिष्ट करना, जिसे वह बनाए रखना चाहता है।

(2) खंड 6 से 14 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इसके तहत दायर किए गए बयान पर लागू होंगे। अनुभाग और ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक धारित खाली भूमि पर।”

“धारा 20 - छूट देने की शक्ति (1) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी में भी शामिल होने के बावजूद

(ए) जहां कोई भी व्यक्ति अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखता है और राज्य सरकार संतुष्ट है, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा, ऐसी भूमि के स्थान, जिस उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि का उपयोग किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है और मामले की परिस्थितियों



के अनुसार ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है। ऐसा करने के लिए, सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी खाली भूमि को, यदि कोई हो, ऐसी शर्तों के अधीन, जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है, इस अध्याय के प्रावधानों से छूट दे सकती है;

(बी) जहां किसी व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में खाली भूमि है अधिकतम सीमा और राज्य सरकार, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा, संतुष्ट है कि इस अध्याय के प्रावधानों के लागू होने से ऐसे व्यक्ति को अनुचित कठिनाई होगी, सरकार आदेश द्वारा, छूट दे सकती है, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई भी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस अध्याय के प्रावधानों से ऐसी खाली भूमि;

बशर्ते कि इस खंड के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसा करने के कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किए जाते हैं।

(2) यदि किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कोई भी शर्त जिसके अधीन सीआई, (ए) या सीएल के तहत कोई छूट है। (बी) की उप-धारा (1) का किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, ऐसी छूट वापस लेने के लिए सक्षम

होगी। प्रस्तावित वापसी और उसके बाद इस अध्याय के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।”

अधिनियम की धारा 20(एल)(ए) के तहत छूट देने वाला सरकारी आदेश जीओ एमएस, संख्या 7 रि. (यूसी 3) विभाग दिनांक 3.1.1984 निम्न है:-

शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 उद्योग-विजयवाड़ा शहरी समूह- विजयवाड़ा गांव -श्री वी. वेंकटेश्वर राव द्वारा रखी गई भूमि के लिए अधिनियम की धारा 20 (1) (ए) के तहत छूट , एनटीएस संख्या 142, ब्लॉक संख्या 6, पटामाता के वार्ड संख्या 1 (अ) विजयवाड़ा को मेसर्स उषोदय प्रकाशन लिमिटेड के पक्ष में पट्टे पर दिया गया।

स्वीकृत-आदेश-जारी।राजस्व (यूसी 3) विभाग

जी.ओ. एमएस संख्या 7 दिनांक 3.1.1984

1. श्री वी. वेंकटेश्वर से।, विजयवाड़ा आवेदन दिनांक 17.12. 1980।
2. अध्यक्ष, मैसर्स उषोदय प्रकाशन (पी) लिमिटेड से पत्र दिनांक 9.9.1981।
3. उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक के पत्र क्रमांक आरसी. क्रमांक 72/यूससी/81 दिनांक 7.3.1981।

4. आयुक्त, भूमि सुधार एवं शहरी भूमि सीलिंग, हैदराबाद से एल.डीआईएस संख्या यूसी3/7142/80 दिनांक 25.8.82.

आदेश

जबकि श्री वल्लूरी वेंकटेश्वर राव, विजयवाड़ा के पास एनटीएस संख्या 142, ब्लॉक-6, वार्ड-11 विजयवाड़ा गांव जिसमें 2438.60 वर्ग मीटर की खाली भूमि है, विजयवाड़ा शहरी समूह में का 11 जो शहरी भूमि (सेलिंग और विनियमन अधिनियम) में निर्धारित सीमा से अधिक है। 1976 (केंद्रीय अधिनियम, 33 ध् 1976) जिसमें यूआर-रेगर्ड के परिणामस्वरूप मेसर्स उषोदय प्रकाशन के पक्ष में पट्टे पर दी गई 5949 वर्ग मीटर भूमि की सीमा भी शामिल है। 1 मई, 1975 को उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख को तैंतीस साल की अवधि के लिए और समाचार पत्र उद्योग चलाने के लिए "ईनाडु" कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए भूमि की उक्त सीमा का कब्जा सौंप दिया।

2. और जबकि भूमि की पूरी सीमा 2438 वर्ग मीटर है, श्री वल्लूरी वेंकटेश्वर राव विजयवाड़ा के पक्ष में बनाए रखने की आवश्यकता है, लीज होल्ड भूमि पर लीज द्वारा समाचार पत्र उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय चलाने के परिणामस्वरूप लीज अवधि समाप्त होने तक।

3. और जहां सरकार सार्वजनिक हित में उपरोक्त पैरा दो में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम के अध्याय-3 के प्रावधानों से यह शर्त

लगाकर छूट देना समीचीन समझती है कि सुगमता अवधि समाप्त होने के बाद इस प्रकार छूट दी गई भूमि निहित हो जाएगी उक्त भूमि पर ऐसी संरचनाओं सहित सरकार में;

4. अब, शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल इसके द्वारा छूट देते हैं;

(1) 2438 वर्ग मीटर भूमि, 5949 वर्ग मीटर में से। एनटीएस में मेसर्स, उषोदय पब्लिकेशंस लिमिटेड के पक्ष में पट्टे पर दी गई भूमि। क्रमांक 142, विजयवाड़ा शहरी समूह में विजयवाड़ा गांव के ब्लॉक वार्ड 11 का उल्लेख ऊपर पैरा 2 में किया गया है, इस शर्त के अधीन कि उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रस्तावित उद्योग के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी;

(ए) कि इसे सरकार की अनुमति के बिना पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए या बेचा नहीं जाना चाहिए।

(बी) भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे छूट दी गई है, दी गई तारीख से तीन साल के भीतर इसे रद्द कर दिया जाएगा और उक्त भूमि शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(सी) कि उद्योग के लिए वित्त जुटाने के उद्देश्य से भूमि को आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम सहित धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (3) में परिभाषित किसी भी बैंक के पास गिरवी रखा जा सकता है।

(डी) उक्त अधिनियम के प्रावधान के तहत उपर्युक्त पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद, ऊपर दी गई छूट वाली भूमि गौट में निहित हो जाएगी।

(आदेशानुसार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर)

आर. कोडामा रामा रेड्डी

सरकार के उप सचिव।”

हमारे सामने रखे गए तर्कों के आलोक में, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या सरकारी आदेश के पैरा 4 के खंड (डी) में निहित शर्त को बरकरार रखा जा सकता है।

अधिनियम की धारा 3 घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने का हकदार नहीं होगा। अधिकतम सीमा धारा 4 के तहत निर्धारित है। धारा 6 के तहत, अधिनियम के प्रारंभ में अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवरण देने के साथ-साथ रिक्त भूमि को निर्दिष्ट करने के लिए विवरण दाखिल करना आवश्यक था। अधिकतम सीमा जिसे वह बरकरार रखना चाहता था। धारा 8 में अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि के संबंध में मसौदा

विवरण तैयार करने का उल्लेख है। धारा 8 (2) (3) के तहत रिक्त भूमि का विवरण देना होगा जिसे कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर रखना चाहता है। धारा 8 की उपधारा 3 के तहत, ड्राफ्ट विवरण संबंधित व्यक्ति को आपत्तियां आमंत्रित करने वाले नोटिस के साथ भेजा जाएगा। आपत्तियों पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी पक्ष को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा। धारा 9 के तहत, संबंधित व्यक्ति के पास अधिकतम सीमा से अधिक की खाली भूमि के बारे में अंतिम विवरण जारी किया जाएगा। धारा 10 (1) के तहत, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि ऐसी खाली भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है और सभी व्यक्तियों के दावे ऐसी रिक्त भूमि में रुचि रखने वालों को ऐसी भूमि में उनकी रुचि की प्रकृति का विवरण देते हुए जानकारी दी जा सकती है। धारा 10 की उप-धारा (3) के तहत, सक्षम प्राधिकारी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि, निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगी। घोषणा में, राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर ऐसी भूमि निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। धारा 15 के अनुसार, यदि अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, कोई भी व्यक्ति किसी खाली भूमि का अधिग्रहण करता

है, साथ ही यदि उसके पास पहले से मौजूद खाली भूमि की सीमा कुल सीमा सीमा से अधिक है, तो वह ऐसे अधिग्रहण के तीन महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक बयान दर्ज करें। धारा 15 की उपधारा (2) के तहत धारा 6 से 14 के प्रावधानों को धारा 15 (1) के तहत दायर बयान पर लागू किया जाता है। धारा 20 छूट की शक्ति से संबंधित है। उक्त धारा के तहत अध्याय 3 (जिसमें धारा 3 से 24 शामिल हैं) के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, राज्य सरकार आदेश द्वारा, ऐसी खाली भूमि को अध्याय 3 के प्रावधानों से छूट दे सकती है। धारा 20 (2) के तहत, राज्य सरकार को इस बात से संतुष्ट होने पर कि जिन शर्तों के तहत कोई छूट दी गई थी, किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी छूट को आदेश द्वारा वापस लेने की शक्ति है।

जैसा कि यहां उल्लिखित प्रावधानों से देखा जा सकता है, अतिरिक्त भूमि रखने वाले व्यक्ति को उस भूमि को व्यक्त करने का विकल्प दिया जाता है जिसे वह अधिकतम सीमा के भीतर बनाए रखना चाहता है उसे धारा 9 के तहत अंतिम बयान देने से पहले धारा 8 के तहत आपत्तियां दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। धारा 10 (1) के तहत संबंधित व्यक्ति पर धारा 9 के तहत विवरण की सेवा के बाद, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई अतिरिक्त भूमि का विवरण देते हुए, सक्षम प्राधिकारी एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें कहा जाएगा कि ऐसी भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है। धारा 10 (1) के

तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, सक्षम प्राधिकारी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगा कि अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई मानी जाएगी और घोषणा के प्रकाशन पर ऐसी भूमि को राज्य सरकार द्वारा अर्जित माना जाएगा। निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगा।

धारा 20 के तहत, राज्य सरकार को अध्याय 3 के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अतिरिक्त खाली भूमि को धारा 3 से 24 वाले उक्त अध्याय के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है। जीओ एमएस नं. 7 वर्तमान मामले में प्रश्नाधीन अतिरिक्त खाली भूमि को अधिनियम के अध्याय 3 के प्रावधानों से एक शर्त लगाकर छूट दी गई है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद, इस प्रकार छूट दी गई भूमि संरचनाओं के साथ सरकार में निहित हो जाएगी। चूंकि अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था और आधिकारिक राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी कि प्रश्न में अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा, इसलिए इसे पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित नहीं माना जा सकता है। छूट आदेश जारी होने की तिथि पर अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत ऋणभार। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद, सामान्य प्रक्रिया में, भूमि प्रतिवादी वेंकटेश्वर राव के एलआर में वापस आ जाएगी, भूमि को पूरी तरह से राज्य में निहित न करने की स्थिति में, अध्याय 3 के प्रावधानों के



अधीन, उनकी लागू सीमा तक। यदि 1997 की सिविल अपील संख्या 5956 में प्रतिवादी और सिविल अपील संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि वापस करने के कारण। 1997 का 5957-5959 और उसकी हिस्सेदारी अधिकतम सीमा से अधिक है, धारा 15 में निहित प्रावधान आकर्षित होते हैं। ऐसे मामले में, धारा 15 (2) के अनुसार, धारा 6 से 14 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, उक्त धारा के तहत दायर बयान पर लागू होंगे। संबंधित व्यक्ति धारा 8 से 10 के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा का लाभ उठा सकता है, जिसमें सेलिंग सीमा के भीतर भूमि को बनाए रखने के मामले में विकल्प या पसंद का प्रयोग भी शामिल है। यदि सरकारी आदेश के पैरा 4 के खंड (डी) में निहित स्थिति बरकरार रहती है, तो इसका प्रभाव धारा 6 से 14 के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा को छीनने का होगा, जहां तक वे लागू होते हैं, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा आक्षेपित आदेश में माना गया है कि उक्त शर्त वैध नहीं थी और उसमें बताए गए कारणों से इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उक्त शर्त को रद्द करने में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए कारणों के संबंध में, हमें स्वीकार करने में कुछ आपत्तियां हैं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, हम मानते हैं कि सरकारी आदेश के पैरा 4 (डी) में निहित शर्त को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार को धारा 20 के तहत छूट देते समय शर्तें लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी शर्तें अधिनियम के

प्रावधानों के विपरीत या पराजित नहीं हो सकती हैं। अधिनियम और छूट आदेश के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 20 की उपधारा (2) के तहत यह कहते हुए सुरक्षा प्रदान की गई है कि यदि छूट देते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार दी गई छूट को वापस लेने की हकदार है। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, लीज अवधि की समाप्ति के बाद यदि खाली भूमि प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी को वापस मिल जाती है और उसकी खाली भूमि सीमा सीमा से अधिक हो जाती है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। अतिरिक्त रिक्त भूमि के संबंध में उनके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। हमें अपीलकर्ता की ओर से की गई एक और दलील पर ध्यान देना होगा कि यदि सरकारी आदेश के पैरा 4 (डी) में निहित शर्त अमान्य है, तो छूट आदेश अस्तित्व में नहीं रह सकता है। छूट देने वाले सरकारी आदेश ने धारा 20 के संदर्भ में छूट के उद्देश्य और सार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए अन्य शर्तें लगाई हैं। यदि उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए छूट दी गई थी, तो यह इसके लिए खुला है। राज्य सरकार धारा 20(2) के तहत छूट का आदेश वापस ले। आदेश के पैरा 4 (डी) में निहित शर्त पृथक्करणीय है और उक्त शर्त को रद्द करने के बाद भी, सरकारी आदेश वैध रूप से कायम रखा जा सकता

है। इस स्थिति को आर जीवरत्नम बनाम मद्रास राज्य में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है खण्ड 1966 एससी 951। उस मामले में 17 अक्टूबर, 1950 के आदेश में निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता को उसके निलंबन की तारीख से, यानी 20 मई, 1949 से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। वास्तव में आदेश में दो भाग थे - (1) अपीलकर्ता बर्खास्त कर दिया जाएगा और (2) बर्खास्तगी 20 मई 1949 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। समग्र आदेश के ये दो भाग अलग करने योग्य थे। इस न्यायालय ने उक्त आदेश पर विचार करते हुए कहा कि "पूर्वव्यापी प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश, वास्तव में, आदेश की तारीख से बर्खास्तगी का एक आदेश है, जिसमें अतिरिक्त निर्देश है कि आदेश पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी रूप से संचालित होना चाहिए। आदेश के दोनों भाग स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य हैं। यह मानते हुए कि आदेश का दूसरा भाग अमान्य है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आदेश के पहले भाग को पूर्ण प्रभाव न दिया जाए। अदालत बर्खास्तगी का नया आदेश पारित नहीं कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से यह आदेश के वैध और पृथक्करणीय भाग को प्रभावित कर सकता है"

इसके अलावा न्यायालय में आरएमडी चमरबागवाला और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर (1957) एससी 628, कानून के वैध और अमान्य भागों की पृथक्करण से निपटने के दौरान पैरा 22 (2) में इस प्रकार कहा गया है:-

“20 (2): यदि वैध और अमान्य प्रावधान इतने मिश्रित रूप से मिश्रित हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो एक हिस्से की अमान्यता के परिणामस्वरूप अधिनियम पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि वे इतने अलग और अलग हैं कि जो अमान्य है उसे हटा देने के बाद, जो बचता है वह अपने आप में बाकी से स्वतंत्र एक पूर्ण कोड है, फिर इसे इस बात के बावजूद बरकरार रखा जाएगा कि बाकी अप्रवर्तनीय हो गया है।”

यह स्थिति होने के कारण, इस विवाद में अपीलकर्ता की ओर हमें कोई बल नहीं मिलता है।

इस प्रकार मामले के सभी पहलुओं को देखते हुए और ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हमारे विचार में, विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

अपीलें खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदनलाल बालोटिया - (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।